बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(मधेपुरा)–41/2020...4011... पटना, दिनांक– 23/12/2022

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 516 दिनांक 28.07.2022 द्वारा श्री निरंजन कुमार, विशेष सर्वेक्षण लिपिक (SCL01622) के विरूद्ध दिनांक 14.04.2022 से लगातार अपने कार्य क्षेत्र से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने की सूचना दी गयी थी।

प्राप्त सूचना के आलोक में निदेशालय मुख्यालय स्तर पर मधेपुरा जिला के लिए नामित्त नोडल पदाधिकारी से आरोपित के ऑनलाईन उपस्थिति की जांच कर जांच प्रतिवेदन मांगा गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त सूचना एवं नोडल पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 2502 दिनांक 16.09.2022 द्वारा आरोपित से उनके अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण 03 दिनों के अन्दर समर्पित करने का निदेश दिया गया है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित तिथि एवं समय के अन्दर समर्पित नहीं किया गया है। स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने की स्थिति में आरोपित को पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 4025 दिनांक 11.11.2022 के द्वारा अंतिम अवसर प्रदान करते हुए इस निदेश के साथ स्मारित किया गया कि अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 03 दिनों के अन्दर समर्पित करें, निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इतने स्पष्ट आदेश के बावजूद आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं नोडल पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन तथा संचिका में रक्षित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि निदेशालय स्तर से बार–बार निदेश दिए जाने के बावजूद भी आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया जाना वरीय पदाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन के साथ–साथ अनुशासनहीनता का द्योतक है। इनके इस कृत्य से स्पष्ट होता है कि ये अपने कार्यो के प्रति लापरवाह है एवं कार्य करने के इच्छुक नहीं है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाना आवश्यक है। इनके इस तरह के अनुपस्थिति से सर्वे का कार्य बाधित हुआ है। साथ ही इनके द्वारा की गयी अनुशासनहीनता का कुप्रभाव अन्य विशेष सर्वेक्षण कर्मियों पर नहीं पड़ने के दृष्टिकोण से इन्हें सेवा में बनाए नहीं रखा जा सकता है।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** के आलोक में श्री निरंजन कुमार, विशेष सर्वेक्षण लिपिक (SCL01622) की सेवा समाप्त की जाती है।

(जय सिंह) 21/12/22
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(मधेपुरा)–41 / 2020 4711 पटना, दिनांक :– 23/12/2022

प्रतिलिपि :– श्री निरंजन कुमार, विशेष सर्वेक्षण लिपिक (SCL01622), बंदोबस्त कार्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेशित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(मधेपुरा)–41 / 2020 4711 पटना, दिनांक :– 23/12/2022

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेशित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(मधेपुरा)–41 / 2020 4711 पटना, दिनांक :– 23/12/2022

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेशित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप